75

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन (संरक्षण कक्ष)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल I, भोपाल
Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450 pccfprot@mp.gov.in

कमांक/एफ–8 /वन अपराध/10–10/20 भोपाल, दिनांक 11/05/12

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व,
समस्त सचालक, राष्ट्रीय उद्यान
मध्यप्रदेश।

विषय :– निर्धारित रोस्टर के अनुसार बीट निरीक्षण करने बाबत।

संदर्भ :– 1–मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय का पत्र कमॉक एफ–14/28/2002/10–2 दिनांक 11 फरवरी, 2004
2–कार्यालयीन पत्र कमॉक/संरक्षण/3/1274 दि.7–6–2004
3–कार्यालयीन पत्र क./एफ–8/2008/10–10/459 दि.24–1–09।

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । शासन व्दारा अवैध कटाई हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है एवं बीट निरीक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । रोस्टर अनुसार एवं समय पर बीट निरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक माह बीट में हुई अवैध कटाई की जानकारी समय पर मिलती रहे एवं हानि का ऑकलन होता रहे । समीक्षा में यह पाया गया कि ज्यादातर वनमण्डलों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों व्दारा बीट निरीक्षण निर्धारित रोस्टर के अनुसार एवं निर्धारित संख्या में नहीं किया जा रहा है । इसका एक कारण यह भी है कि मुख्य वन संरक्षकों व्दारा प्रत्येक माह बीट निरीक्षण की स्थिति की समीक्षा नहीं की जा रही है एवं न ही निर्धारित प्रोफार्मा में बीट निरीक्षण के संबंध में प्रत्येक माह प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जा रहा है , यह स्थिति ठीक नहीं है । अतः इसमें शीर्धतिशीध्र सुधार लाने की आवश्यकता है । निर्धारित रोस्टर के अनुसार विशेषतौर पर अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील बीट निरीक्षण किये जाने से एक ओर

जहॉं अवैध कटाई पर नियंत्रण रहता हैं एवं अवैध कटाई की स्थिति का पता चलता रहता है साथ ही स्थानीय लोगों एवं वन अपराधियों को भी पता रहता है कि वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी समय समय पर वन भ्रमण करते रहते हैं इसलिये ये लोग अवैध कटाई करने से डरते है। परन्तु जब बीट भ्रमण नहीं किया जावेगा तो स्थानीय लोगों एवं वन अपराधियों व्दारा अवैध कटाई की संभावना बनी रहती है । अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप प्रत्येक माह बीट निरीक्षण की समीक्षा एवं विश्लेषण करें । जिन अधिकारियों / कर्मचारियों व्दारा निर्धारित संख्या एवं रोस्टर अनुसार बीट निरीक्षण नहीं किया जाता है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

अवैध कटाई एवं अवैध उत्खनन रोकने का सबसे पहला एवं उत्तम उपाय यही है कि वनों का भ्रमण किया जाता रहे एवं समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं रात्रि पेट्रोलिगं नियमित रुप से की जाती रहे ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(टी0आर0शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल